न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :- 125/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2020/00032)
अनवान मुकदमा –

1 सावित्री देवी पत्नी दलीपचन्द जाति जाट साकिन वार्ड न. 13 मण्डी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन लखूवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. बलजीत सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन लखूवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

-- प्रतिवादीगण

-: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि. बाबत् खाता विभाजन :-

-:: उपस्थित अभिभाषकगण ::-

1. श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता --- वादीया
2. राज पेरोकार तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा --- प्रतिवादी सं. 3

-:: निर्णय :-

दिनांक – 30/08/2022

वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील पीलीबंगा के चक 30 एसटीजी के प.न. 28/320 (14) किला न. 1 ता 22 की 3.366 हैक. व प.न. 27/320 (15) किला न. 2 ता 15, 19/1, 20 की 3.606 हैक. कुल 9.172 हैक. भूमि में सरजीत कौर पत्नी बलराज सिंह का 0.51666 हैक., अमनदीप सिंह पुत्र बलराज सिंह का 1.52866 हैक. हिस्सा तथा वादीया का 1.012 हैक. तथा प्रतिवादी स. 1-2 का 2/3 हिस्सा दर्ज राजस्व अभिलेख है। बलराज सिंह व नरेन्द्र सिंह-बलजीत सिंह तीनो सगे भाई थे। इनका उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा था। बलराज सिंह के फौत होने के बाद उनका 1/3 हिस्सा यानि 3.05732 हैक. भूमि उनकी पत्नी सरजीत कौर व पुत्र अमनदीप सिह को प्राप्त हुआ। सरजीत कौर के अपने हिस्सा 1/3 हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानि 1.52866 हैक. भूमि में से 1.012 हैक. भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 01.08.2011 को वादीया को बेचान कर प.न. 28/320(14) किला न. 19 ता 22 की 1.012 हैक. भूमि का कब्जा दे दिया था जिस पर वादीया बतौर खातेदार काबिज काश्त है। वाद पत्र में वर्णित प्रशनगत भूमि में से अमनदीप सिंह ने अपने हिस्सा की 1.52866 हैक. भूमि में से दिनांक 02.06.2016 को 0.26366 हैक. भूमि जरिये बैयनामा वादीया को बैचान कर उसी दिन प.न. 28/320(14) किला न. 15/0.13183, 16/0.13183 हैक. भूमि का कब्जा वादीया को सौंप दिया था। अमनदीप सिंह ने उक्त भूमि में से अपने हक व हिस्सा भूमि में से दिनांक 26.05.2016 को 1.265 हैक. भूमि जरिये बैयनामा वादीया को बैचान कर उसी दिन प.न. 28/320 (14) किला न. 11 ता 14, 17, 18 की 1.265 हैक. भूमि का वादीया को कब्जा सौंप दिया था। सरजीत कौर

30.08.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पत्नी बलराज सिंह ने अपने हक हिस्सा की शेष रही 0.51666 हैक. भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 10.01.2020 को वादीया को बैचान कर उसी रोज वादीया को प.न. 28/320 (14) किला न. 5/0.13716, 6/0.13716, 15/0.12117, 16/0.12117 का कब्जा सौंप दिया। इस भूमि के उतर दिशा में खाला है इसलिये किला न. 5-6 की इस मुरब्बा के पुर्व दिशा में खाला से लगती हुई उत्तर-दक्षिण दी गई है। राजस्व अभिलेख में मुताबिक बैयनामा अंकन हो चुका है। वादीया 3.05732 हैक. भूमि की खातेदार काश्तकार है। वादीया 1/3 हिस्सा की खातेदार है और उक्तानुसार अपनी भूमि पर काबिज काश्त है। इस भूमि में अमनदीप सिंह व सरजीत कौर का हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रशनगत भूमि के संयुक्त खाता में वादीया का 1/3 हिस्सा की खातेदार है और अपने हक व हिस्सा की भूमि पर खरीद के समय से ही काबिज काश्त है। प्रतिवादी स. 1 व 2 अपने हक हिस्सा की भूमि अलग काश्त कर रहे है इनका सगा भतीजा अमनदीप सिंह यह 2/3 हिस्सा की भूमि काश्त कर रहा है। वादीया अपने हक व हिस्सा की 3.05732 हैक. भूमि प.न. 28/320 (14) किला न. 5/0.13716, 6/0.13716, 12 ता 22 की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही है। परन्तु खाता अभी सांझा है इसलिए वादीया अपना विभाजन करवाने की हकदार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी स. 1 व 2 बावजूद तामिल उपस्थित नही आये। इसलिए प्रतिवादी स. 1 व 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी स. 3 द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय फरमाया जावे। वकील वादीया द्वारा प्रकरण में कब्जा की रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे बाद सुनवाई स्वीकार किया गया तथा तहसीलदार पीलीबंगा से कब्जा रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की गई। वादीया द्वारा अपने दावा के सर्मथन में जमाबन्दी, नजरी नक्शा व बैयनामा की प्रतियां पेश की। प्रकरण में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के कारण तनकियात कायम नहीं की गई।

बहस सुनी गई। वकील वादीया ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीया ने प्रश्नगत भूमि जरिये अलग अलग बैयनामा से खरीद की है तथा खरीद के समय से ही वादीया का भूमि पर कब्जा काश्त है। इन बैयनामों में जो भूमि वादीया को कब्जा में दी गई है। वह भूमि अंकित की गई है तथा मुताबिक कब्जा काश्त अपना खाता अन्य प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहती है।

-:: आदेश ::-

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया ने खाता विभाजन में जो भूमि वाद पत्र व नजरी नक्शा में अंकित की है, उसी भूमि का बैयनामा में वादीया को कब्जा देना अंकित किया गया है। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 23.05.2022 के अनुसार वादीया का मुताबिक फर्द मौका चक 30 एसटीजी के प.न. 28/320(14) किला न. 5, 6, 12 ता 22 की भूमि पर कब्जा काश्त है। इस वाद पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपति नही कि गई है इसलिए वाद वादीया साबित होने के कारण स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि वादीया का चक 30 एस. टी.जी. के प.न. 28/320(14) किला न. 5/0.13716, 6/0.13716, पुर्व दिशा की तरफ 12 ता 22 की कुल 3.05732 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला भूमि का खाता विभाजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो।

30.08.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 125/2022(जीसीएमएस दर्ज संख्या – 2020/00032)

अनवान मुकदमा –

1 सावित्री देवी पत्नी दलीपचन्द जाति जाट साकिन वार्ड न. 13 मण्ड़ी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन लखूवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. बलजीत सिंह पुत्र अर्जन सिंह जाति जटसिख साकिन लखूवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा.का.अधि. बाबत् खाता विभाजन :–

–:: डिक्री ::–

दिनांक :– 30/08/2022

वादीया की ओर से श्री मदनलाल पारीक अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वादीया का चक 30 एस.टी.जी. के प.न. 28/320(14) किला न. 5/0.13716, 6/0.13716, पूर्व दिशा की तरफ 12 ता 22 की कुल 3.05732 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला भूमि का खाता विभाजन किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/08/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.08.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा